



Share Deptt. & Investors' Grievances Cell
Head Office

Ref. No. HO/SD/330

Dated: 03.09.2016

The Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Bandra- Kurla Complex
Bandra East,
Mumbai-400 051

The Vice President
BSE Ltd.
25, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Dear Sir,

**Sub: Forwarding of Copy of Notice of
Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank**

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in continuation with our letter No.HO/SD/303 dated 12.08.2016 wherein we intimated that Board of Directors of the Bank authorised the Chairman and Managing Director to convene an Extraordinary General Meeting of shareholders of Bank for obtaining their approval/ consent for issue and allotment of Equity Capital of Bank on preferential and QIP basis, we are enclosing a copy of the Notice convening Extraordinary General Meeting of the Bank scheduled to be held on 28.09.2016.

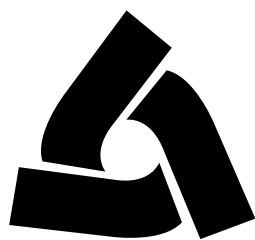
This is for your kind perusal and records please.

Yours faithfully,


(A.K. Goel)

General Manager (F &A),
CFO and Compliance Officer

Encl: As Stated



इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST

असाधारण आम सभा की सूचना

बुधवार, 28 सितम्बर, 2016

पूर्वाह्न 10.30 बजे

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Wednesday, 28th September, 2016

10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

वेबसाइट : <http://www.allahabadbank.in>

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Website : <http://www.allahabadbank.in>



इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

महत्वपूर्ण तिथियां / IMPORTANT DATES

असाधारण आम सभा की तिथि, समय और स्थान: Date, time and place of Extraordinary General Meeting:	बुधवार, 28 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, भाषा भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 Wednesday, the 28 th September, 2016 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027
सभा की कार्यसूची के मदों पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए नियत तिथि: Cut-off Date for ascertaining eligibility of the Shareholders to vote on Agenda items of the meeting:	बुधवार, 21 सितम्बर, 2016 (कार्य समय की समाप्ति)। Wednesday, the 21 st September, 2016 (Close of business hours).
विधिवत निष्पादित परोक्षी (प्राक्सी) फार्म एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्ति संबंधी संकल्प(पों) की प्रति प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि: Last date for receipt of duly executed proxy form and copy of resolution(s) appointing authorized representative(s):	शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016, अपराह्न 5.00 बजे तक। upto 5.00 p.m. on Friday, the 23 th September, 2016.
रिमोट ई-वोटिंग: Remote e-voting:	रविवार, 25 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से मंगलवार 27 सितम्बर, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक। From 10.00 a.m. on Sunday, the 25 th September, 2016 to 5.00 p.m. on Tuesday, the 27 th September, 2016.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नांकित व्यवसाय(यों) के निमित्त इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण आम सभा, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को प्रातः 10.30 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में आयोजित की जाएगी :

मद संख्या 1:

यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के क्रमशः विनियम 76(1) और 76 (4) के अनुसार निदेशक मंडल /समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹68.01 (अड़सठ रुपये एवं एक पैसे मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹78.01 (अठहत्तर रुपये एवं एक पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के नकद आधार पर 42,30,226 (बयालिस लाख तीस हजार दो सौ छब्बीस) इक्विटी शेयरों का भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को संकलित ₹33.00 करोड़ (रुपये तैंतीस करोड़ मात्र) तक तथा 1,64,26,392 (एक करोड़ चौसठ लाख छब्बीस हजार तीन सौ बानवे) इक्विटी शेयरों का भारतीय जीवन बीमा निगम एवं / या उसकी विभिन्न योजनाओं को संकलित ₹128.15 करोड़ (रुपये एक सौ अट्ठाइस करोड़ पंद्रह लाख मात्र) तक अधिमानी आधार पर सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आर्बटित करने हेतु तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन(नों) सहित या रहित, निम्नांकित संकल्प(णों) को विशेष संकल्प(णों) के बतौर पारित किए जाने हेतु विचारार्थ :

“यह संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (एतदपश्चात “अधिनियम” के रूप में उल्लिखित) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 (एतदपश्चात “योजना” के रूप में उल्लिखित) एवं इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), एवं /अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिसपर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो एवं यथासंशोधित, सेबी (पूजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 {सेबी (आईसीडीआर) विनियम} एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संगत प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन एंड डिस्कलोजर रिकवायरमेंट) विनियम, 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के सूचीबद्धता करार के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात “बोर्ड” कहा गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई / की जा सकने वाली समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है) को:

(क) यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार निदेशक मंडल /समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹68.01 (अड़सठ रुपये एवं एक पैसे मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹78.01 (अठहत्तर रुपये एवं एक पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के नकद आधार पर 42,30,226 (बयालिस लाख तीस हजार दो सौ छब्बीस) इक्विटी शेयरों का भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को संकलित ₹33.00 करोड़ (रुपये तैंतीस करोड़ मात्र) तक; तथा

(ख) यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 76(4) के अनुसार निदेशक मंडल /समिति द्वारा यथा निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर ₹68.01 (अड़सठ रुपये एवं एक पैसे मात्र) के प्रीमियम सहित, ₹78.01 (अठहत्तर रुपये एवं एक पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर, ₹10/- (रुपये दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के नकद आधार पर 1,64,26,392 (एक करोड़ चौसठ लाख छब्बीस हजार तीन सौ बानवे) इक्विटी शेयरों का भारतीय जीवन बीमा निगम एवं / या उसकी विभिन्न योजनाओं को संकलित ₹128.15 करोड़ (रुपये एक सौ अट्ठाइस करोड़ पंद्रह लाख मात्र) तक;

अधिमानी आधार पर सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आर्बटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्वारा सहमति दी जाती है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2016 है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार /भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथासहमत, को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुसार अधिमानी आधार पर जारी एवं आर्बटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर डिमैटोरियलाइज्ड रूप में निर्गम किए जाएंगे, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के चैप्टर VII के तहत वर्णित अवरुद्धता (लॉक -इन) अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा हर दृष्टि से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों (लाभांश सहित) के समकक्ष होंगे।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने का अधिकार होगा जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के निर्गम के दौरान उत्पन्न सभी प्रश्नों, कठिनाईयों एवं शंकाओं के निष्कारण हेतु एवं आगे सभी दस्तावेजों एवं लिखतों को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात जो उनके पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय हो, के लिए शेयरधारकों के बिना किसी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन के यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियों, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) में से किसी को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं प्राधिकृत किया जाता है।”



ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Allahabad Bank will be held on Wednesday, the 28th September, 2016 at 10.30 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027, to transact the following business (ess):

ITEM NO. 1:

To create, offer, issue and allot 42,30,226 (Forty two lac thirty thousand two hundred twenty six) equity shares to Government of India (President of India) aggregating upto ₹33.00 crore (Rupees thirty three crore only) and 1,64,26,392 (One crore sixty four lac twenty six thousand three hundred ninety two) equity shares to Life Insurance Corporation of India and/or its various schemes aggregating upto ₹128.15 crore (Rupees one hundred twenty eight crore fifteen lakh only) of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹78.01 (Rupees seventy eight and paise one only) per equity share including a premium of ₹68.01 (Rupees sixty eight and paise one only) per equity share on preferential basis, as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (1) and 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, respectively and to consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following as **Special Resolution(s)**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the ‘Act’) read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the ‘Scheme’) and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 {SEBI (ICDR) Regulations}, as amended and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot on preferential basis upto:

- (A) 42,30,226 (Forty two lac thirty thousand two hundred twenty six) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹78.01 (Rupees seventy eight and paise one only) per equity share including a premium of ₹68.01 (Rupees sixty eight and paise one only), per equity share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹33.00 crore (Rupees thirty three crore only) to Government of India (President of India); and
- (B) 1,64,26,392 (One crore sixty four lac twenty six thousand three hundred ninety two) equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at an Issue Price of ₹78.01 (Rupees seventy eight and paise one only) per equity share including a premium of ₹68.01 (Rupees sixty eight and paise one only) per equity share as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended, aggregating upto ₹128.15 crore (Rupees one hundred twenty eight crore fifteen lakh only) to Life Insurance Corporation of India and/or its various schemes.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **Monday, the 29th August, 2016.**”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to Lock-in requirements prescribed under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and shall rank *pari passu* in all respect (including dividends) with the existing equity shares of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or in his/her absence to any of the Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

मद सं 2:

यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 85(1) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम, विनियम यदि कोई हो तो, के अनुसार निदेशक मंडल / समिति द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य पर ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर उतनी संख्या में नकद आधार पर संकलित ₹500.00 करोड़ (रुपए पाँच सौ करोड़ मात्र) तक अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के आधार पर इस रीति से ताकि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का बैंक के पेड-अप इक्विटी पूंजी में कम से कम 52.00% भाग बना रहे, को सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो, आशोधन(नों) सहित या रहित, निम्नांकित संकल्प(पों) को **विशेष संकल्प(पों)** के बतौर पारित किए जाने हेतु विचारार्थ :

“यह संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (एतदपश्चात “अधिनियम” के रूप में उल्लिखित) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970 (एतदपश्चात “योजना” के रूप में उल्लिखित) एवं इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), एवं/अथवा इस संबंध में अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन एवं उसमें निहित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों के अधीन जैसा कि इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा जिसपर बैंक के निदेशक मंडल ने सहमति दी हो एवं यथासंशोधित, सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 {सेबी (आईसीडीआर) विनियम} एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संगत प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिक्सलोजर रिकवायरमेंट) विनियम, 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के सूचीबद्धता करार के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल (एतदपश्चात “बोर्ड” के रूप में उल्लिखित जिसमें बोर्ड द्वारा गठित की गई / की जा सकने वाली समिति शामिल मानी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का उपयोग करती है) को यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 85(1) तथा अन्य प्रयोज्य विधि, नियम, विनियम यदि कोई हो तो, के अनुसार निदेशक मंडल /समिति द्वारा यथानिर्धारित प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य पर ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर उतनी संख्या में नकद आधार पर संकलित ₹500.00 करोड़ (रुपए पाँच सौ करोड़ मात्र) तक अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के आधार पर इस रीति से ताकि भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) का बैंक के पेड-अप इक्विटी पूंजी में कम से कम 52.00% भाग बना रहे, को सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं आबंटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं एतद्द्वारा सहमति दी जाती है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के चैप्टर - VIII के तहत अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में :

- क) इक्विटी शेयरों का आबंटन मात्र, यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के चैप्टर - VIII में वर्णित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसे इक्विटी शेयर पूर्णतः पेड-अप होंगे एवं इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने के 12(बारह) महिनों के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।
- ख) यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 85(1) के परंतुक के अनुसार बैंक को आधार मूल्य में अधिकतम पाँच प्रतिशत तक छूट के साथ इक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने का प्राधिकार होगा।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की संगत तिथि यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुरूप होगी।

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को भारत सरकार /भारतीय रिजर्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति प्रदान करने हुए प्रस्ताव में अपेक्षित एवं अधिरोपित किसी भी आशोधन, बोर्ड द्वारा यथासहमत, को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होगी।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुरूप, अप्रवासी भारतीयों (एनआरआईज), विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईज), विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशकों (एफपीआईज) तथा /या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों का जारी एवं आबंटन विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत यथाप्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होंगे परंतु अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर होंगे।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प के अनुसार जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर यथासंशोधित, इलाहाबाद बैंक (शेयर्स एंड मीटिंग्स) विनियम, 1999 के अध्यक्षीन होंगे तथा सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा किसी भी समय घोषित किए जाने वाले तथा ऐसी घोषणा के समय प्रभावी एवं मौजूद सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार, लाभांश हेतु पात्र होंगे।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इक्विटी शेयरों के इस निर्गम एवं आबंटन को प्रभावी करने हेतु, निदेशक मंडल, ऑफर की शर्तों के साथ साथ निवेशक वर्ग जिन्हें इक्विटी शेयर आबंटित किए जाएंगे तथा प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, प्रीमियम सहित निर्गम मूल्य का निर्धारण जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं अनुबन्धों का निष्पादन करने जो कि उनके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित व वांछनीय हो तथा निर्गम, आबंटन व निर्गम राशि के उपयोग के संबंध में उत्पन्न किसी प्रश्न, कठिनाई व शंका के निष्पत्तारण या आवश्यक अनुदेश देने तथा निर्गम के नियम व शर्तों में ऐसे सारे शंशोधनों, आशोधनों, तब्दीलियों विलोपनों व संकलनों, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित, उपयुक्त व बैंक के उत्तम हित में समझे, को स्वीकृत एवं प्रभावी करने के लिए तथा बैंक एवं बोर्ड को इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग हेतु शेयरधारकों के बिना किसी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन के, एतद्द्वारा प्राधिकृत है एवं प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के लिए किसी भी अग्रणी प्रबन्धक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(रों), ऑडीटर(रों) एवं ऐसी समस्त एजेंसियों को कि इस प्रकार की इक्विटी निर्गम प्रस्ताव में निहित अथवा सम्बद्ध हों, के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था में शामिल होने या किसी प्रकार के दस्तावेज को निष्पादित करने तथा ऐसे समस्त संस्थानों एवं एजेंसियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा तत्समान किसी स्वरूप में पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत होगा तथा प्राधिकृत किया जाता है तथा वे उनके साथ किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था में शामिल हो सकेगा अथवा उसे निष्पादित कर सकेगा।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी किए जाने के उद्देश्यार्थ, बोर्ड अग्रणी प्रबन्धकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं / या अन्य व्यक्तियों को कि बैंक द्वारा नियुक्त किए गए हों, के परामर्श से ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है तथा होगा कि वह निर्गम(मों) के स्वरूप एवं शर्तों का निर्धारण कर सकेगा जिसमें निवेशकों का वह वर्ग जिसे शेयरों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम अथवा डिस्काउंट तथा सम्बद्ध एवं आनुषंगिक मामले, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता जैसा कि बोर्ड द्वारा पूर्ण विवेकानुसार उचित समझा जाए, भी सम्मिलित है।”

ITEM NO. 2:

To create, offer, issue and allot upto such number of equity shares of the face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at such Issue Price per equity share including premium as determined by the Board/Committee in accordance with Regulation 85(1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended and in compliance with other applicable Laws, Rules and Regulations, if any, aggregating upto ₹500.00 Crore (Rupees five hundred crore only) to Qualified Institutional Buyers on Qualified Institutions Placement (QIP) basis in such a manner that the Government of India (President of India) shall continue to hold not less than 52.00% of the paid-up Equity Capital of the Bank and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution(s) as **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the ‘Act’) read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the ‘Scheme’) and Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended (hereinafter referred to as the “Regulations”) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and /or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 {SEBI (ICDR) Regulations} as amended and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and other applicable Laws, Rules and Regulations and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/ may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot upto such number of equity shares of face value of ₹10/- (Rupees ten only) each for cash at such Issue Price per equity share including premium as determined by the Board/ Committee in accordance with Regulation 85 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended and other applicable Laws, Rules and Regulations, if any, aggregating upto ₹500.00 crore (Rupees five hundred crore only) in one or more tranches to Qualified Institutional Buyers [as defined in Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009] on Qualified Institutions Placement (QIP) basis in such a manner that the Government of India (President of India) shall continue to hold not less than 52.00 % of the paid-up Equity Capital of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended:

- a) the allotment of equity shares shall be only to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended, such equity shares shall be fully paid-up and the allotment of such equity shares shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is authorized to offer equity shares at a discount of not more than five percent on the floor price pursuant to proviso to Regulation 85(1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended.
- c) the Relevant Date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to Non Resident Indians (NRIs), Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors (FPIs) and/or other eligible foreign investors pursuant to this resolution shall be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued pursuant to this resolution shall be subject to the Allahabad Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999 as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to such issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the offer, including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price including premium, as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions in the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into all such arrangements and execute all such documents with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium or discount on issue and related or incidental matters, listing on stock exchanges in India, as the Board in its absolute discretion deem fit.”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसे शेयरों को जो कि सब्सक्राइब नहीं हुए हों, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए तथा विधि अनुसार अनुज्ञेय हो, निष्पादित किया जा सकेगा।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात करने का अधिकार होगा जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व वांछनीय समझे तथा इक्वीटी शेयरों के निर्गम के दौरान उत्पन्न सभी प्रश्नों, कठिनाईयों एवं शंकाओं के निष्ठारण हेतु एवं आगे सभी दस्तावेजों एवं लिखतों को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने हेतु ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले एवं बात जो उनके पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित अथवा वांछनीय हो, के लिए शेयरधारकों के बिना किसी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन के यह मानते हुए कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना अनुमोदन दिया है, करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं प्राधिकृत किया जाता है।”

“यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन से अपनी किसी शक्ति अथवा समस्त शक्तियाँ, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/(निदेशकों) अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों), जैसा वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत है एवं प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

(राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: कोलकाता

तारीख: 1 सितम्बर, 2016

टिप्पणियाँ :

1. व्याख्यात्मक विवरण :

व्याख्यात्मक विवरण, जिसमें सभा में की जाने वाली कार्यवाही(हियों) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है, एतद्वारा संलग्न किया जाता है और यह नोटिस का भाग है।

2. परोक्षी की नियुक्ति :

सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को परोक्षी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से सभा में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे परोक्षी का बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001 में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन पूर्व** अर्थात् शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक, अथवा इससे पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बेटकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक सभा में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति, उस सभा, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित की गई है, शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001, में असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन पूर्व** अर्थात् शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016 को कार्यसमाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक, या उससे पूर्व प्राप्त न हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर एवं बेटकें) विनियम, 1999 के अनुसार इलाहाबाद बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बैठक स्थल पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति “प्रॉक्सी” अथवा “प्राधिकृत प्रतिनिधि” का उल्लेख करें।

5. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकृत पते सम्बन्धी किसी प्रकार के परिवर्तन, अंतरण/प्रेषण हेतु अनुरोध, यदि कोई हो, आदि की सूचना देने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.) से निम्नांकित पते पर सम्पर्क करें :

मै. सी बी मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लिमिटेड

(यूनिट इलाहाबाद बैंक)

पी - 22, बँडेल रोड कोलकाता - 700019

टेलीफोन : 033-40116700, 22806692, 22870263

फैक्स : 033-40116739

ई-मेल : rita@cbmsl.com, वेबसाइट : www.cbmsl.com.

शेयरधारकों को त्वरित एवं दक्ष सेवा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद बैंक द्वारा अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया है तथा किसी प्रकार की सहायता के लिए शेयरधारक तथा निवेशक उक्त कक्ष से निम्नांकित पतों पर सम्पर्क कर सकते हैं :

महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सी.एफ.ओ. एवं अनुपालन अधिकारी इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड कोलकाता - 700001 टेलीफोन नम्बर : 033-22104018 फैक्स नम्बर : 033-22104050 ई-मेल : gmafa@allahabadbank.in	मुख्य प्रबंधक (कंपनी सचिव) शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 टेलीफोन नम्बर : 033-22420878 फैक्स नम्बर : 033-22623279 ई-मेल : investors.grievance@allahabadbank.in
---	--

“RESOLVED FURTHER THAT such of those shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or in his/her absence to any of the Executive Director(s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors



(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Place : Kolkata

Date : 01st September, 2016

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT :

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. APPOINTMENT OF PROXY :

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received by at Share Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 23rd September, 2016. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at Share Department, Allahabad Bank, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the close of business hours of the Bank i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 23rd September, 2016. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM- ENTRY PASS :

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum- Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue.

5. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT :

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s) at the following address:-

M/s CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank),
P-22, Bondel Road, Kolkata-700019,
Phone No. 033-40116700, 22806692, 22870263
Fax: 033-40116739,
E-mail: rta@cbmsl.com,
website: www.cbmsl.com.

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager (F&A),
CFO and Compliance Officer
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road,
Kolkata- 700 001
Telephone No. -033-22104018
Fax No.-033- 22104050
E-mail - gfmfa@allahabadbank.in

The Chief Manager (Company Secretary)
Share Deptt. & Investors' Grievance Cell
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001
Telephone No.033-22420878
Fax No. 033- 22623279
Email- investors.grievance@allahabadbank.in

6. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग अधिकार का प्रयोग :

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार सभा में भाग लेने और वोट देने के हकदार शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लामार्थ स्वामियों के वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा यथास्थिति **21.09.2016 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित नियत तिथि)** को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी।

रिमोट ई-वोटिंग मंच उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने मै. नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

7. रिमोट ई-वोटिंग हेतु संवीक्षक :

बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता से संचालित करने हेतु मै. एस एन अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

8. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति :

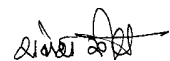
- (i) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार इस प्रयोजन हेतु निर्धारित 21.09.2016 (इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि) को यथास्थिति बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी में उनके शेयरों के समानुपात में होगी।
- (ii) रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 25 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 से आरंभ होगी और मंगलवार, 27 सितम्बर, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को एनएसडीएल द्वारा उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे डिसेबल कर दिया जाएगा।
- (iii) यदि आप ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने हेतु अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- (iv) आरंभिक पासवर्ड और यूजर आईडी नोटिस के साथ भेजे जा रहे हैं।
- (v) यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर लॉच करें।
- (vi) शेयरहोल्डर-लॉगइन को क्लिक करें।
- (vii) यूजर आईडी और आरंभिक पासवर्ड के रूप में पासवर्ड डाल कर लॉगइन को क्लिक करें।
- (viii) पासवर्ड चेंज मेन्यू प्रकट होगा। इस पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड से बदलें जो न्यूनतम 8 अंकों/करेक्टर या दोनों के संगम से बना हो। नए पासवर्ड को नोट करें/याद रखें।
- (ix) यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किया अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।
- (x) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंग:एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
- (xi) इलाहाबाद बैंक का "EVEN" सेलेक्ट करें।
- (xii) अब आप ई-वोटिंग हेतु तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुल चुका है।
- (xiii) समुचित विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और "सबमिट" पर क्लिक करें और "कन्फर्म" करें।
- (xiv) कन्फर्मेशन होने पर "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश दिखाई देगा।
- (xv) यदि आपने संकल्प पर एक बार वोट दे दिया तो आपको अपने वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षित है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) में वोट हेतु प्राधिकृत करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) द्वारा विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित संवीक्षक को ई-मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net मेल पर भेजेंगे और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजी जाएगी।
- (xvii) बहुविध फोलियो/डिमेट खाता रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फालियो/डिमेट खाते हेतु पृथक वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। **तथापि शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2E) के अनुसार भारत सरकार से इतर किसी अन्य शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10.00% से अधिक वोटिंग अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।**
- (xviii) कृपया नोट करें कि एक बार अपना वोट डालने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते या असाधारण आम सभा में मतदान में वोट नहीं कर सकते। तथापि आप बैठक में उपस्थित हो सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में भाग ले सकते हैं।
- (xix) किसी प्रकार की पूछताछ हेतु आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें।
- (xx) आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अद्यतन कर सकते हैं जिनका उपयोग भविष्य में पत्राचार हेतु किया जा सकेगा।

9. ईजीएम स्थल पर वोटिंग :

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात् बैंक द्वारा कार्यसूची मद के संबंध में मतदान कराया जाएगा। मतदान का संचालन और पर्यवेक्षण इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले संवीक्षकों के अंतर्गत होगा। आम सभा में उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। तथापि, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है वे सभा स्थल पर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। मतदान समाप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम सहित मतदान के सकल परिणाम बैंक द्वारा इसकी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से



(राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: कोलकाता

तारीख: 1 सितम्बर, 2016

6. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH REMOTE E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional. The voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **21.09.2016 (Cut-off date fixed for the purpose)**.

The Bank has appointed M/s National Securities Depository Limited (NSDL) as agency for providing the Remote e-voting platform.

7. SCRUTINIZER FOR REMOTE E-VOTING:

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Remote e-voting process in a fair and transparent manner.

8. PROCESS AND MANNER FOR REMOTE E-VOTING:

- (i) The Remote e-voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on 21.09.2016 (Cut-off Date fixed for the purpose).
- (ii) The Remote e-voting period will commence at 10.00 a.m. on Sunday, 25th September, 2016 and will end at 5.00 p.m. on Tuesday, 27th September, 2016. The Remote e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- (iv) Initial password and User ID are being sent along with the Notice.
- (v) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- (vi) Click on Shareholder - Login.
- (vii) Insert user ID and password as initial password and click Login.
- (viii) Password change menu will appear. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note/Remember new password.
- (ix) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
- (xi) Select "EVEN" of Allahabad Bank.
- (xii) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.
- (xiii) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- (xiv) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- (xv) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- (xvii) Shareholders holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account. **However, shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than the Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10.00% of the total shareholding of the Bank.**
- (xviii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on poll at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xix) In case of any query, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com.
- (xx) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

9. VOTING AT THE EGM:

After discussion on the agenda item, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholders/Proxy(ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board of Directors



(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Place : Kolkata

Date : 01st September, 2016

व्याख्यात्मक विवरण:

मद सं.1

अधिमानी आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (जीबीनि) और/या इसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयर जारी किया जाना :

ए) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य :

सतत परिवर्तनशील व्यावसायिक परिदृश्य के साथ-साथ बासेल III के मानदंडों के अनुपालनार्थ, अपने ऊर्ध्वमुखी व्यवसाय स्तर की व्यवस्था, विशेष रूप से बासेल III के मानदंडों के कार्यावयन हेतु बैंक को अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता है। बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने एवं बैंक की सामान्य व्यवसायिक आवश्यकता को निधि प्रदान करने में वर्धित पूँजी का प्रयोग किया जाएगा।

बी) निर्गम मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु संगत तिथि 29 अगस्त, 2016 है।

सी) इश्यू मूल्य का निर्धारण यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) अधिनियम, 2009 के अध्याय VII, में यथावर्णित अधिमानी इश्यू हेतु यथाप्रयोज्य विनियम के अनुसार निर्धारित है।

डी) भारत सरकार- बैंक के प्रवर्तक एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (जीबीनि) एवं/या इसकी विभिन्न योजनाओं द्वारा अधिमानी निर्गम को सबस्क्राइव किया जाएगा।

ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एफ.सं.7/38/2014-बीओए दिनांक 19.07.2016 द्वारा यह सूचित किया है कि भारत सरकार ने अपने पक्ष में इक्विटी के अधिमानी आबंटन के माध्यम से दो बार में हमारे बैंक में ₹44 करोड़ धनराशि लगाने का निर्णय लिया है, अर्थात् प्रस्तावित पूँजी राशि का 75%(₹33 करोड़) तत्काल एवं कतिपय मानदंडों पर बैंक के कार्य निष्पादन के आधार पर प्रस्तावित पूँजी राशि का 25%(₹11 करोड़)।

एफ) बैंक के अनुरोध पर, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने पत्र संदर्भ सं. आईएनवी/ईक्विटी सेक्सन दिनांक 01.09.2016 के माध्यम से बैंक के अधिमानी निर्गम में 1,64,26,392 (एक करोड़ चौसठ लाख छब्बीस हजार तीन सौ बानवे) इक्विटी शेयरों को सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के अनुसार निर्धारित निर्गम मूल्य पर सबस्क्राइव करने का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के बारे में बैंक को अवगत कराया है, बशर्ते कि उनकी बैंक में निर्गम के पश्चात शेयरधारिता किसी भी समय 14.25% से अधिक न हो।

जी) इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयरधारिता का स्वरूप :

क्र. सं.	श्रेणी	इश्यू पूर्व		इश्यू पश्चात	
		शेयर की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	शेयर की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)
ए	प्रवर्तक की धारिता भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	485978185	67.21	490208411	65.92
बी	गैर प्रवर्तक की धारिता	237055053	32.79	253481445	34.08
	कुल	723033238	100.00	743689856	100.00

एच) बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 में यथावर्णित निर्धारित समय सीमा के अंदर इश्यू संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

आई) अधिमानी आधार पर प्रस्तावित इश्यू के पश्चात, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

जे) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम एवं इसकी विविध योजनाओं की इश्यू पूर्व एवं पश्चात शेयर धारिता निम्नानुसार होगी:

क्र. सं.	शेयरधारकों का नाम	इश्यू पूर्व		इश्यू पश्चात	
		शेयर की संख्या	पूँजी का प्रतिशत (%)	शेयर की संख्या	पूँजी का प्रतिशत (%)
ए	भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	485978185	67.21	490208411	65.92
बी	भारतीय जीवन बीमा निगम एवं इसकी विविध योजनाएं	88946605	12.30	105372997	14.17

के) सेबी द्वारा दिनांक: 12.05.2016 के अपने आदेश संख्या: WTM/PS/30/CFD-DCR-1/MAY/2016 के माध्यम से भारत सरकार (अर्जनकर्ता) को भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की ओर से बैंक के आवेदन पर अधिमानी आबंटन के जरिए इलाहाबाद बैंक के 10,92,29,064 इक्विटी शेयरों के अर्जन के सम्बन्ध में सेबी (सब्सटेंशियल एक्वीजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन, 2011 के विनियम 3(2) की अपेक्षाओं के अनुपालन से छूट प्रदान कर दी गई है। तदनुसार बैंक द्वारा दिनांक 16.05.2016 को 10,92,29,064 नए इक्विटी शेयर नगद आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानी आधार पर प्रति इक्विटी शेयर ₹63.17 (रुपए तिरसन् एवं सत्रह पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य जिसमें ₹53.17 (रुपए तिरपन एवं पैसे सत्रह मात्र) प्रीमियम शामिल है, पर उनसे दिनांक : 30.03.2016 (वित्तीय वर्ष 2015-16) को प्राप्त हुए 690 करोड़ रुपये के कैपिटल इनफ्यूजन राशी के एवज में आबंटित कर दिए गए हैं।

चूँकि बैंक के प्रस्तावित शेयरों का भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा अर्जन सेबी द्वारा सेबी (सब्सटेंशियल एक्वीजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन, 2011 के विनियम 3(2) के अनुपालन के बिना 10,92,29,064 इक्विटी शेयरों के अर्जन हेतु प्रदत्त अनुमति से उपर एवं अधिक है, अतः बैंक, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) की ओर से 42,30,226 (बयालिस लाख तीस हजार दो सौ छब्बीस) नए इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटित हेतु सेबी को उनकी आवश्यक अनुमति / अनुमोदन हेतु आवेदन करेगा।

एल) बैंक का इक्विटी शेयर छब्बीस सप्ताह से अधिक हेतु सूचीबद्ध रहा है और तदनुसार, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

एम) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा अधिमानी निर्गम पूर्व धारित सकल इक्विटी शेयर, संदर्भित तिथि से स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से छः माह तक अवरुद्ध रहेंगे। इसके अलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के विनियम 78 के अपेक्षाओं के अनुरूप, भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को निर्गम एवं आबंटित किए गए सभी नए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्षों तक अवरुद्ध रहेंगे तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (जीबीनि) एवं/या इसकी विभिन्न योजनाओं को निर्गम एवं आबंटित किए गए सभी नए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक अवरुद्ध रहेंगे।

EXPLANATORY STATEMENT (S)

ITEM NO. 1 :

ISSUANCE OF EQUITY SHARES ON PREFERENTIAL BASIS TO GOVERNMENT OF INDIA (PRESIDENT OF INDIA) AND LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (LIC) AND/OR ITS VARIOUS SCHEMES:

a) Objects of the Preferential Issue:

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the BASEL-III norms, the bank needs additional capital, particularly for implementation of BASEL-III norms. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

b) The Relevant Date for ascertaining the Issue Price is 29th August, 2016.

c) The Issue Price is determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended upto date.

d) This preferential issue will be subscribed by the Government of India– the Promoter of the Bank and Life Insurance Corporation of India and/or its various schemes.

e) The Govt. of India, Ministry of Finance vide their letter No. F.No. 7/38/2014-BOA dated 19.07.2016 conveyed that the Govt. of India has decided to allocate funds to the tune of ₹44.00 crore in our Bank by way of preferential allotment of equity in favour of Govt. of India in two tranches, i.e. 75% of the proposed capital infusion amount (₹33.00 crore) immediately and 25% of the proposed capital infusion amount (₹11.00 crore) based on performance of the Bank on certain parameters.

f) At the request of Bank, the Life Insurance Corporation of India vide their letter Ref. No. INV/Equity Section dated 01.09.2016 has conveyed their in principle approval for subscribing to the preferential issue of 1,64,26,392 (One crore sixty four lac twenty six thousand three hundred ninety two) equity shares of the Bank at a price as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009, subject to their total exposure not exceeding 14.25% of post issue capital of the Bank at any point of time.

g) Shareholding Pattern before and after the Issue :

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of Shares	Percentage of share holding (%)	No. of Shares	Percentage of share holding (%)
A	Promoter's Holding (Government of India)	485978185	67.21	490208411	65.92
B	Non-Promoter Holding	237055053	32.79	253481445	34.08
	Total	723033238	100.00	743689856	100.00

h) The Bank will Endeavour to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

i) Subsequent to the proposed issue on preferential basis, there would not be any change in control.

j) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India (President of India) and Life Insurance Corporation of India and its various schemes would be as under:

Sl. No.	Name of Shareholders	Pre-issue		Post-issue	
		Number of Shares	Percentage to Capital (%)	Number of Shares	Percentage to Capital (%)
1	Govt. of India (President of India)	485978185	67.21	490208411	65.92
2	Life Insurance Corporation of India	88946605	12.30	105372997	14.17

k) SEBI vide their Order No. WTM/PS/30/CFD-DCR-1/MAY/2016 dated 12.05.2016 granted exemption to the Government of India, (the acquirer) on Bank's application on behalf of Government of India (President of India) from complying with the requirement of Regulation 3 (2) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 with respect to its acquisition of 10,92,29,064 equity shares of Allahabad Bank by way of preferential allotment. Accordingly, the Bank on 16.05.2016 has issued and allotted 10,92,29,064 new equity shares of face value of ₹10.00 (Rupees ten only) of the Bank on preferential basis to Government of India (President of India) for cash at an issue price of ₹63.17 (Rupees sixty three and paise seventeen only) per equity share including a premium of ₹53.17 (Rupees fifty three and paise seventeen only) per equity share against their capital infusion amount of ₹690.00 crore received by Bank on 30.03.2016 (FY 2015-16).

As the proposed acquisition of shares of Bank by the Government of India (President of India) is over and above the acquisition of 10,92,29,064 equity shares of Bank permitted by SEBI without complying with the requirement of Regulation 3 (2) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the Bank would be making an application on behalf of Government of India (President of India) to SEBI seeking their necessary permission/approval for issue and allotment of 42,30,226 (Forty two lac thirty thousand two hundred twenty six) new equity shares of Bank to Government of India (President of India).

l) The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

m) The entire pre-preferential equity shareholding of Government of India (President of India) shall be locked-in from the Relevant Date till six months from the date of grant of Trading Approval by the Stock Exchanges. Further, all the new equity shares issued and allotted to the Government of India (President of India) shall be locked-in for a period of three years from the date of Trading Approval and all the new equity shares issued and allotted to the Life Insurance Corporation of India and/or its various schemes shall be locked-in for a period of one year from the date of Trading Approval as per requirement under Regulation 78 of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

- एन) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यह अभिप्रायित करते हुए कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्गम जारी किए गए हैं, प्रमाणपत्र असाधारण आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- ओ) भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सेबी (लिसिंग आब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिकवायरमेंट) विनियम 2015 और/या सूचीबद्धता करार में यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की सतत सूचीबद्धता की शर्तों का नियमित अनुपालन किया है। भारत सरकार ने संदर्भित तिथि के पूर्व के छः माह के दौरान बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर बेचा नहीं है।
- पी) सेबी (लिसिंग आब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिकवायरमेंट) विनियम 2015 के विनियम 41(4) के अनुरूप, किसी प्रतिभूति के आबंटन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है, यदि उन्हें उस प्रतिभूति का आबंटन अनुपातिक आधार पर नहीं किया जाता है।
- क्यू) बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रवधानों के अनुरूप, इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य की, आवश्यकतानुसार, पुनर्संरचना करेगा।
- आर) बैंक यह वचन देता है कि यदि निर्गम मूल्य की पुनर्संरचना के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित समय के अंदर नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रतिभूतियों को उस समय तक अवरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि ऐसी राशि का आबंटन द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता।
- निदेशक मंडल सूचना की कार्यसूची मद सं. 1 में यथावर्णित विशेष संकल्प(पों) का आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।

निदेशकों तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारियों का हित:

बैंक के किसी भी निदेशक तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का अपने संबंधियों सहित उपर्युक्त संकल्प (संकल्पों) में कोई हित अथवा संबंध नहीं है।

मद सं. 2 :

अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को इक्विटी शेयर जारी करना :

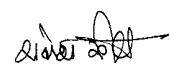
- ए) उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के बाद और विभिन्न प्रकार के टीयर - I और टीयर - II लिखतों के माध्यम से बैंकों को उनकी पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने वाले दिनांक 29.10.2007 के संदर्भ सं. डीबीओबी सं.बीपी.बीसी.42 /21.01.002/2007-08 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारत सरकार के दिनांक 19.12.2014 के पत्र सं. एफ न. 11/7/2008-बीओए (पीटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारत सरकार की शेयरधारिता 52.00% तक घटाते हुए एफपीओ अथवा क्यूआईपी के माध्यम से बाजार से पूंजी उगाहने की अनुमति की बात कही गई है, को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के जरिए एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित) निर्गमित करके ₹500.00 करोड़ (रुपए पांच सौ करोड़ मात्र) तक की पूंजी जुटाने हेतु पूंजी बाजार में पहुंच की योजना बनाई है बशर्ते कि यह बैंक के उत्तम हित में हो तथा बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता 52.00% तक बनी रहे।
- बी) यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अलावा, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के रूप में इक्विटी शेयरों का निर्गम, इस संबंध में प्रयोज्य सभी कानून, नियम, विनियम, सांविधिक /विनियामक दिशानिर्देशों के साथ-साथ भारत सरकार एवं /अथवा भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति /अनुमोदन के अधीन होगा।
- सी) प्रस्तुत संकल्प बोर्ड को आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथा परिभाषित अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के साथ शेयरों के अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने हेतु शक्ति प्रदान करना चाहता है। निदेशक मंडल, अपने विवेक से, शेयरधारकों से नए अनुमोदन मांगे बिना, बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु सेबी (आईसीडीआर) के अंतर्गत यथानिर्धारित इस तंत्र को अपना सकता है।
- डी) यथासंशोधित, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम "संगत तिथि" के पूर्ववर्ती दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों की अंतिम कीमतों के साप्ताहिक आधिक व कम के औसत से कम कीमत पर नहीं किया जा सकता है।
- ई) "संगत तिथि" का अभिप्राय उस बैठक की तिथि से है जिसमें बैंक का बोर्ड अथवा समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेती है।
- एफ) इक्विटी शेयरों का निर्गमन, जब भी किया जाता है, तो इस हेतु विस्तृत शर्तें, बोर्ड द्वारा व्यापारी बैंकरों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों, अन्य बिचौलियों तथा बैंक द्वारा यथा अपेक्षित समझे जाने वाले ऐसे अन्य प्राधिकारियों से परामर्श और बाजार की प्रचलित स्थितियों और अन्य संगत घटकों पर विचार करके निर्धारित की जाएंगी। संकल्प बोर्ड को ऐसे समय या समयों पर, ऐसी कीमत या कीमतों पर एवं उसमें यथा उल्लिखित ऐसे निवेशकों को, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, इक्विटी शेयर निर्गमित करने की शक्ति प्रदान करना चाहता है।
- जी) उपरोक्त कारणों के लिए, निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने हेतु एक समर्थकारी संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।
- एच) जारी किए गए शेयर सभी दृष्टियों में डिविडेंड सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष होंगे।
- आई) इस प्रयोजनार्थ, बैंक को विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- जे) दिनांक: 10.03.2015 को आयोजित हुई असाधारण आम सभा में शेयरधारकों द्वारा बैंक की इक्विटी पूंजी को ₹500.00 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से अभिवृद्धित किए जाने हेतु प्रदत्त अनुमोदन / सहमति को प्रतिकूल बाजार स्थितियों के चलते वास्तविक रूप नहीं दिया जा सका।

निदेशक मंडल, नोटिस की अनुसूची मद सं. 2 में यथा वर्णित विशेष संकल्प(पों) का आपके अनुमोदन हेतु संस्तुति करता है।

निदेशकों एवं महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्तियों का हित:

बैंक के किसी भी निदेशक तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का अपने संबंधियों सहित उपर्युक्त संकल्प(संकल्पों) में रुचि अथवा संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से



(राकेश सेठी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: कोलकाता

तारीख: 1 सितम्बर, 2016

- n) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- o) All the shares held by the Government of India (President of India) are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and/or Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity share of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- p) Pursuant to Regulation 41(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.
- q) The Bank undertakes to re-compute the issue price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, where it is required to do so.
- r) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of issue price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution(s) as set out in the Agenda Item No. 1 of the Notice.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS:

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

ITEM NO. 2 :

ISSUANCE OF EQUITY SHARES TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS THROUGH QUALIFIED INSTITUTIONS PLACEMENT (QIP)

- a) After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No.DBOD.No.BP.BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-1 and Tier-2 instruments as also the Guidelines from the Govt. of India vide letter No. F.No.11/7/2008-BOA(Pt.) dated 19.12.2014 allowing the Public Sector Banks to raise capital from market through FPO or QIP by diluting Govt. of India holding upto 52.00%, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹500.00 crore (Rupees five hundred crore only) (including premium) by issuing equity shares by way of Qualified Institutions Placement (QIP) in one or more tranches and subject to terms and conditions as may deem fit in the best interest of the Bank in such a manner that the Government of India shall continue to hold not less than 52.00 % of the paid-up Equity Capital of the Bank.
- b) It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutions Placement (QIP) would be subject to compliance of all applicable laws, rules, regulations, statutory/regulatory guidelines in this regard and also subject to necessary permission/approval from the Government of India and/or Reserve Bank of India.
- c) The Resolution seeks to empower the Board of Directors to undertake Qualified Institutions Placement of shares with Qualified Institutional Buyers as defined in Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended. The Board of Directors may in its discretion adopt this mechanism as prescribed under SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- d) In terms of Chapter VIII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as amended, issue of securities on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".
- e) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.
- f) The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors, other intermediaries and such other authorities as may be required to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.
- g) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- h) The equity shares issued shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- i) For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution.
- j) Owing to unfavorable market conditions, the earlier approval/consent of the shareholders for raising the equity capital of the Bank upto ₹500.00 crore (including premium) by way of Qualified Institutions Placement (QIP) accorded in the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 10.03.2015 could not materialized.

The Board of Directors recommends for your approval of the Special Resolution(s) as set out in the Agenda Item No. 2 of the Notice.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS:

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives are interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).

By order of the Board of Directors



(Rakesh Sethi)

Chairman and Managing Director

Place : Kolkata

Date : 01st September, 2016



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

उपस्थिति पर्ची

(सभा स्थल में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाना है)

दिन एवं तारीख: बुधवार, 28 सितम्बर, 2016

समय : पूर्वाह्न 10.30 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027

मैं एतद्वारा इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ :-

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

शेयरधारक (कों)/ प्रॉक्सी (यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) से अनुरोध है कि वे सभा में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित (वही नमूना हस्ताक्षर करें जो शेयरधारकों के रजिस्टर/प्रॉक्सी(यों)/प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) को नियुक्त करने वाले लिखत में पंजीकृत हैं) उक्त उपस्थिति-पर्ची प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, सभा स्थल के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

१<----->१



इलाहाबाद बैंक

प्रवेश पत्र

(सभा के दौरान अपने पास रखें)

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी	
शेयरधारक का नाम	
धारित शेयरों की संख्या	

- नोट:
1. सभा के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
 2. जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं वे असाधारण आम सभा स्थल पर वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

**ALLAHABAD BANK**

HEAD OFFICE: 2, Netaji Subhas Road Kolkata- 700 001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the venue)

Day & Date: Wednesday, the 28th September, 2016**Time : 10.30 a.m.****Place: Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027****I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Allahabad Bank:-**

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No. / DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Shareholder(s)/Proxy (ies)/ Authorized Representative (s) are requested to produce the above attendance slip, duly signed, (same as their specimen signatures registered in the register of shareholders/ Instrument appointing Proxy(ies)/Authorized Representative (s), along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verifications, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance of the venue of the meeting.

✂ ————— ✂

**ALLAHABAD BANK****Entry Pass**

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorized Representative Present	
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID	
Name of the Shareholder	
Number of Shares held	

Note: 1. No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting.

2. Shareholders who have already cast their vote through remote e-voting are not entitled to vote at the venue of the EGM.



इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता : 700 001

फार्म "बी"

परोक्षी (प्राक्सी) हेतु फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

रजिस्टर्ड फोलियो नं. / डी पी आई डी एवं क्लाइंट आई डी

मैं/हम राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उनकी अनुपस्थिति में राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को दिनांक 28.09.2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा भवन आडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम सभा में और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।

इस पर 2016 के दिन हस्ताक्षर किए।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाए

परोक्षी के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश :

- प्राक्सी फार्म तभी वैध होगा जब;
 - व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में उसके द्वारा अथवा विधिवत रूप से प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी निगमित निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस परोक्षी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- प्रॉक्सी के साथ मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे या उससे पहले शेयर विभाग, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा किया गया परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगा।
- यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम सभा में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

नोट- नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में सभा की कार्यसूची की मद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।



ALLAHABAD BANK

H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"

Form for Proxy

(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No. / DPID & Client ID

I/We resident/s of..... in the district of in the state of..... being a share holder/s of Allahabad Bank, hereby appoint Shri/Smt..... resident of in the district of or failing him/her. Shri/Smt resident of..... in the district of in the state of..... as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on 28.09.2016 at 10.30 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700027 and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of 2016

Please affix
One Rupee
Revenue
Stamp

.....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name

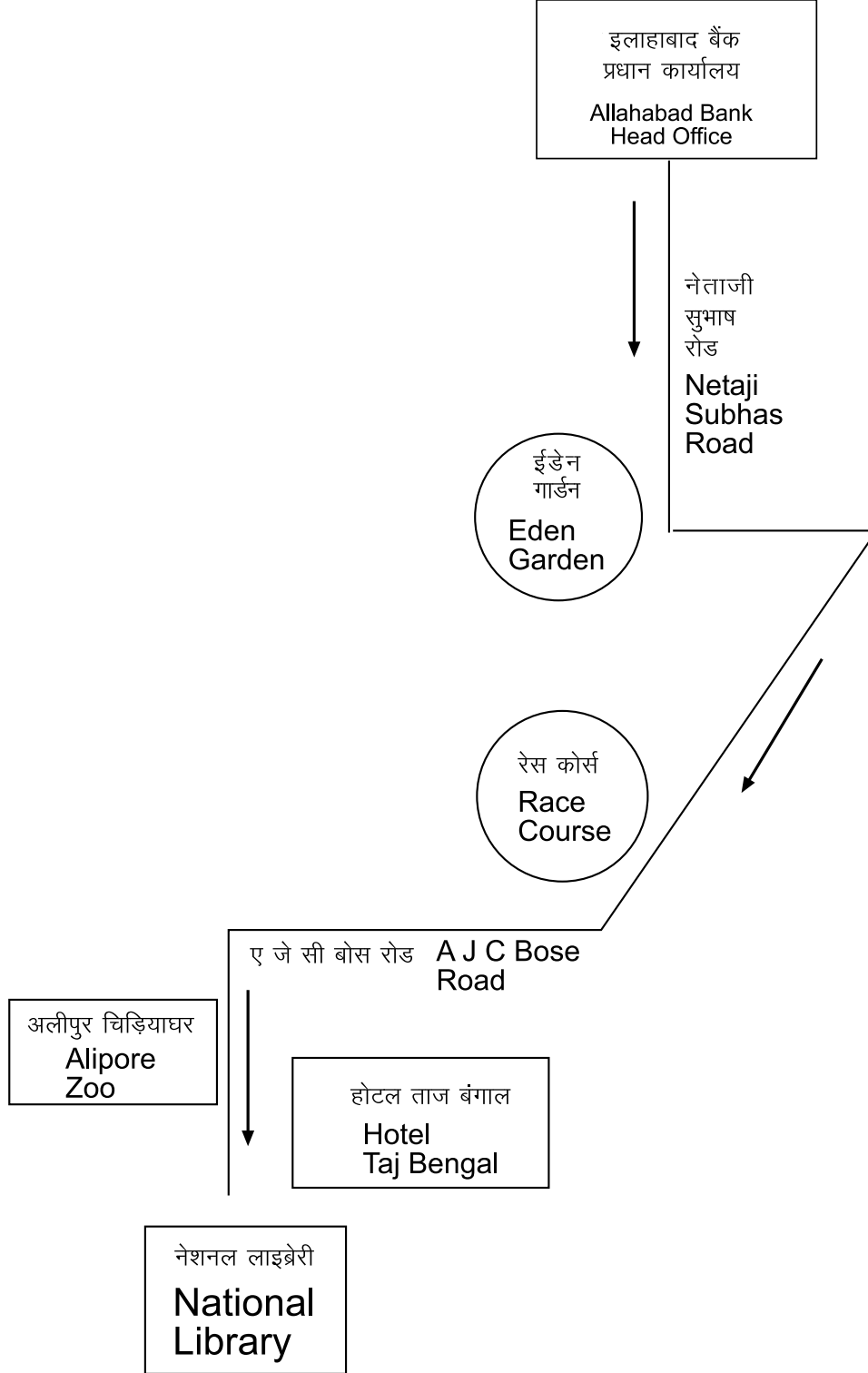
Address

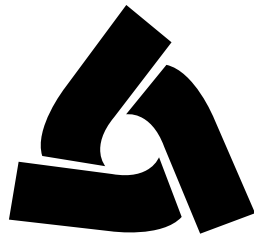
Instructions for signing and lodging the Proxy form :

- The instrument of proxy to be valid
 - in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - in case a joint holder, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - in case of body corporate, shall be signed by its officer and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
- An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
- The Proxy together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of Attorney or Authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Allahabad Bank, Head Office, 2 Netaji Subhas Road, Kolkata-700001, not later than **FOUR Days** before the date of Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the close of business hours i.e. upto 5.00 p.m. on Friday, the 23rd September, 2016.
- In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

Note: The proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting on the Agenda item of meeting.

असाधारण आम सभा,
28 सितम्बर, 2016
मार्ग मानचित्र
Extraordinary General Meeting
28th September, 2016
Route Map





इलाहाबाद बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Allahabad Bank

(A Govt. of India Undertaking)

www.allahabadbank.in

विश्वास की परंपरा

A TRADITION OF TRUST